



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-08092021-229485
CG-MH-E-08092021-229485

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 380]
No. 380]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2021/भाद्र 16, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 2021/BHADRA 16, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 7 सितम्बर, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/47.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,-
 - I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

क. खंड (न) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(न) ‘असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों’ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) का अर्थ है – ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ, जिनकी परिभाषा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 में दी हुई है;”

ख. खंड (प) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(प) ‘असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों’ (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर), ‘असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों’ (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़), ‘बेमीयादी ऋण लिखत’ (पर्पेचुअल डैट इन्स्ट्रूमेंट) और ‘बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर’ (पर्पेचुअल नॉन-क्यूम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर) का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 में इनके लिए दिया हुआ है;”

ग. खंड (फ) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ज), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2013 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ठ)”, शब्दों, चिह्नों तथा अंकों “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (म)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

II. विनियम 3 में,

क. उप-विनियम (1) में, खंड (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(ख) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़);”

ख. उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(3) इन विनियमों के जो प्रावधान बकाया सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों (लिस्टिड डैट सिक्यूरिटीज़) के मूल्य के मानदंड के आधार पर सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों पर लागू होते हों, वे ऐसी एंटिटियों पर लागू रहेंगे फिर भले ही वे विनियम 15 के उप-विनियम (1क) में दी हुई सीमा-रेखा से नीचे आ जाएँ।”

III. अध्याय-IV में, शीर्षक में, शब्द “विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों”, शब्दों तथा चिह्नों “निर्धारित (विनिर्दिष्ट) प्रतिभूतियों और असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

IV. विनियम 15 में,

क. उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(1क) इस विनियम तथा इस अध्याय के विनियम 16 से विनियम 27 के प्रावधान उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी पर लागू होंगे, जिसने अपनी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्ट) कराई हों और जिसकी सूचीबद्ध असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों का बकाया मूल्य पाँच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक हो:

परंतु यह कि जिस एंटीटी ने अपनी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध कराई हों और यदि वह एंटीटी वर्ष के दौरान पाँच सौ करोड़ रुपये की निर्धारित सीमा-रेखा तक पहुँच जाए, तो उसे इस प्रकार सीमा-रेखा तक पहुँचने की तारीख से छह महीनों के भीतर इन प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा:

परंतु यह और कि ये प्रावधान 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटीटी' पर 31 मार्च, 2023 तक "पालन या स्पष्टीकरण" आधार पर लागू होंगे और उसके बाद अनिवार्य आधार पर लागू होंगे।

स्पष्टीकरण (1) - जिन एंटीटियों के संबंध में विनियम 15 के उप-विनियम (1क) के पहले परंतुक में जिक्र किया गया है, उन्हें इस अध्याय के प्रयोजनार्थ 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटीटियाँ' समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण (2) - इस संशोधन के अधिसूचित होने की तारीख को 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटीटियों' का निर्धारण 31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के बकाया मूलधन के मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

स्पष्टीकरण (3) - विनियम 15 के उप-विनियम (1क) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ, "पालन या स्पष्टीकरण" का अर्थ होगा - एंटीटी प्रावधानों का पालन करने का प्रयास करेगी और 31 मार्च, 2023 तक इन प्रावधानों का पूरी तरह से पालन कर लेगी। यदि एंटीटी ऐसे समय तक इन प्रावधानों का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाती है, तो उसे इन विनियमों के विनियम 27 के उप-विनियम (2) के खंड (क) के तहत दाखिल की जाने वाली पालन संबंधी तिमाही रिपोर्ट में यह बताना होगा कि इस प्रकार पालन न किए जाने / आंशिक रूप से पालन किए जाने के क्या कारण हैं और उन कदमों का भी जिक्र करना होगा जो उसके द्वारा पूरी तरह से पालन किए जाने के संबंध में उठाए गए हों।

स्पष्टीकरण (4) -

(क) यदि 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटीटी' रियल इस्टेट निवेश न्यास हो, तो रियल इस्टेट निवेश न्यास के प्रबंधक (मैनेजर) का बोर्ड कंपनी संचालन (कंपनी शासन / कारपोरेट गवर्नेंस) के संबंध में इन विनियमों के विनियम 15 से विनियम 27 का पालन करेगा;

(ख) यदि 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटीटी' अवसंरचना निवेश न्यास हो, तो अवसंरचना निवेश न्यास के निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर) का बोर्ड कंपनी संचालन (कंपनी शासन / कारपोरेट गवर्नेंस) के संबंध में इन विनियमों के विनियम 15 से विनियम 27 का पालन करेगा।"

ख. उप-विनियम (2क) में, शब्दों तथा चिह्नों "सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी" के पश्चात्, शब्द तथा चिह्न "या 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटीटी' " अंतःस्थापित किए जाएंगे।

ग. उप-विनियम (2ख) में, शब्दों तथा चिह्नों "सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी" के पश्चात्, शब्द तथा चिह्न "या 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटीटी' " अंतःस्थापित किए जाएंगे।

V. विनियम 16 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में, उप-खंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"स्पष्टीकरण - उस 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटीटी' के मामले में:

(क) जो ऐसा निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) हो, जिसके लिए उन कानूनी प्रावधानों के अनुसार किसी खास तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करना जरूरी हो जिनके तहत वह बना हो, उसके बोर्ड में शामिल गैर-कार्यपालक निदेशकों (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर) को स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा;

(ख) जो ऐसा न्यास (ट्रस्ट) हो, जिसके लिए उन कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपने 'न्यासी मंडल' (बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़) का गठन करना जरूरी हो जिनके तहत वह बना हो, उसके बोर्ड में शामिल जो न्यासी कर्मचारी न हों उन्हें स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा।”

VI. विनियम 21 में, उप-विनियम (5) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(5) इस विनियम के प्रावधान:

- i. उन शीर्ष 1000 सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियों पर लागू होंगे, जिनका निर्धारण, ठीक पहले के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के आधार पर किया जाएगा; और,
- ii. 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटीटी' पर लागू होंगे।”

VII. विनियम 23 में, उप-विनियम (9) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“परंतु यह कि 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटीटी' छमाही के अपने एकल वित्तीय परिणामों (स्टैंडलोन फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स) के साथ ऐसी जानकारी (प्रकटीकरण) प्रस्तुत करेगी।”

VIII. विनियम 25 में, उप-विनियम (11) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(12) 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण (लिस्टिड डैट) वाली एंटीटी' अपने सभी स्वतंत्र निदेशकों हेतु 'निदेशकों और अधिकारियों का बीमा' ('डी एवं ओ बीमा') [उतनी रकम का और उतने जोखिमों का जैसा उसके निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाए] करवाएगी।”

IX. विनियम 26 में, उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, शब्दों “विदेशी कंपनियाँ” के पश्चात् शब्द और चिह्न “, 'अत्यधिक मूल्य के सूचीबद्ध ऋण वाली एंटीटियाँ’” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

X. अध्याय-V में, शीर्षक में, शब्द “ऋण” और शब्दों “या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों या दोनों” का लोप हो जाएगा।

XI. विनियम 49 में,

क. उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(1) इस अध्याय के प्रावधान केवल उसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी पर लागू होंगे, जिसने अपनी असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग)] विनियम, 2021 के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराया हो।”

ख. उप-विनियम (2) का लोप हो जाएगा।

ग. मौजूदा स्पष्टीकरण (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण (1) - इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, यदि सूचीबद्ध एंटीटी ने अपने असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों, बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयरों या बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयरों जैसी लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) को सूचीबद्ध कराया हो, तो इस अध्याय में “व्याज” के किसी संदर्भ को “लाभांश” के रूप में पढ़ा जाएगा।”

घ. मौजूदा स्पष्टीकरण (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण (2) - इस अध्याय के प्रयोजनार्थ, “चूक” (डिफॉल्ट) का अर्थ होगा - पहले से तय तारीख को व्याज / लाभांश या मूलधन की रकम का पूरा भुगतान न किया जाना और चूक तभी से मानी जाएगी जब व्याज / लाभांश या मूलधन की रकम की चुकौती में पहली बार देरी की गई हो।”

XII. विनियम 50 में,

क. उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(1) सूचीबद्ध एंटीटी बोर्ड की उस बैठक के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज को कम से कम दो कार्य-दिवसों पहले सूचना देगी [जिनमें निदेशक मंडल की बैठक के बारे में सूचित किए जाने की तारीख और बैठक की तारीख नहीं गिनी जाएगी], जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसी प्रस्ताव पर विचार किया जाना हो:

- (क) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के स्वरूप आदि में बदलाव अथवा उनके धारकों (होल्डर्स) के अधिकारों या विशेषाधिकारों में बदलाव;
- (ख) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज / लाभांश / मोचन (रिडेंप्शन) की रकम के भुगतान की तारीख में बदलाव;
- (ग) यथास्थिति, तिमाही या वार्षिक, वित्तीय परिणाम;
- (घ) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ जारी (इश्यू) करके पैसा (फंड) जुटाना; या
- (ङ) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों के अधिकारों या हितों पर असर डालने वाला कोई मामला।”

ख. उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(2) जिस तारीख को सूचनाएँ (नोटिस) भिजवानी शुरू की जाएँ, उस तारीख तक सूचीबद्ध एंटीटी स्टॉक एक्सचेंज को भी इन मामलों की जानकारी देगी:

- (क) इस विनियम के उप-विनियम (1) के खंड (ग) तथा (घ) के अनुसार किए जाने वाले प्रस्तावों के संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी (अनुमोदन) लेने के लिए आयोजित की जाने वाली किसी वार्षिक साधारण बैठक या असामान्य साधारण बैठक के मामले में;
- (ख) इस विनियम के उप-विनियम (1) के खंड (ङ) के अनुसार किए जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के धारकों की किसी बैठक के मामले में।”

ग. उप-विनियम (3) का लोप हो जाएगा।

XIII. विनियम 51 में,

क. उप-विनियम (1) में, शब्द “असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के ब्याज या लाभांश के भुगतान अथवा असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों या मोचनीय अधिमानी शेयरों के मोचन”, शब्दों तथा चिह्नों “असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के ब्याज या लाभांश के भुगतान अथवा उनके मोचन (रिडेंप्शन)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।”

ख. उप-विनियम (1) में दिया हुआ स्पष्टीकरण निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“स्पष्टीकरण – शब्दों “तत्परता से सूचित करेगी” का अर्थ होगा - स्टॉक एक्सचेंज को जितना जल्द हो सके, किंतु किसी घटना के घटित होने या जानकारी प्राप्त होने की तारीख से चौबीस घंटों के भीतर, सूचित किया जाएगा। यदि प्रकटीकरण (डिस्कलोज़र) घटना के घटित होने या जानकारी प्राप्त होने की तारीख से चौबीस घंटों के बाद किया जाता है, तो सूचीबद्ध एंटीटी ऐसे प्रकटीकरण करने के साथ-साथ इस प्रकार हुई देरी के लिए स्पष्टीकरण भी देगी।”

ग. उप-विनियम (2) में, शब्द तथा चिह्न “असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ और / या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर निर्गमित किए हों या जो इन्हें निर्गमित कर रही हो”, शब्दों तथा चिह्न

“असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध कराई हों,” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

घ. उप-विनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“(3) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी अपने वेबसाइट पर उन सभी घटनाओं या उस समस्त जानकारी को प्रकट (डिस्कलोज़) करेगी, जो इस विनियम के तहत स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रकट की गई हों (हो), और ऐसे प्रकटीकरण सूचीबद्ध एंटीटी के वेबसाइट पर डाले जाएंगे तथा जो वेबसाइट पर कम से कम पाँच वर्षों तक रहेंगे, और उसके बाद सूचीबद्ध एंटीटी की अभिलेखों संबंधी नीति (आर्काइवल पॉलिसी) [जो उसके वेबसाइट पर प्रकट (डिस्कलोज़) की गई हो] के अनुसार रखे जाएंगे।”

XIV. विनियम 52 में,

क. उप-विनियम (1) और उसका परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्, -

“(1) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी तिमाही आधार पर अलेखापरीक्षित या लेखापरीक्षित (ऑडिटेड) तिमाही और वर्ष के प्रारंभ से वर्तमान तारीख तक के एकल वित्तीय परिणाम उस तिमाही (अंतिम तिमाही को छोड़कर) के समाप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर तैयार करेगी और उन्हें बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित फॉर्मेट में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रस्तुत करेगी:

परंतु यह कि ऐसी एंटीटियों के मामले में जिन्होंने अपनी ऋण प्रतिभूतियाँ (डैट सिक्क्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाई हुई हों, स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किए गए वित्तीय परिणामों की एक प्रति उसी दिन डिबेंचर न्यासियों (डिबेंचर ट्रस्टी) को भी दी जाएगी जिस दिन स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी प्रस्तुत की जाती हो।”

ख. उप-विनियम (2) में, शब्द “छमाही”, शब्द “तिमाही” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

ग. उप-विनियम (2) में, खंड (क) और उसका परंतुक निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, अर्थात्, -

“(क) तिमाही आधार पर प्रस्तुत किए जाने वाले अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के साथ सूचीबद्ध एंटीटी के कानूनी लेखापरीक्षकों (ऑडिटर) द्वारा तैयार की गई सीमित समीक्षा रिपोर्ट (लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट) भी लगाई जाएगी, जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए फॉर्मेट में होगी:

परंतु यह कि जिन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) के लेखों (अकाउंट्स) की लेखापरीक्षा (का ऑडिट) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती (किया जाता) हो, उनके मामले में रिपोर्ट किसी पेशेवर (व्यवसाय में लगे हुए किसी) चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा दी जाएगी।”

घ. उप-विनियम (2) में, खंड (ख) में, शब्द “छमाही” शब्द “तिमाही” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

ङ. उप-विनियम (2) में, खंड (ग) में, शब्द “छमाही” शब्द “तिमाही” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

च. उप-विनियम (2) में, खंड (घ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

“(घ) किसी वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखापरीक्षित एकल (सटैंड अलोन) और समेकित वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास, वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर, लेखापरीक्षा (ऑडिट) रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे:

परंतु यह कि जिन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) की लेखापरीक्षा (का ऑडिट) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जा रही (किया जा रहा) हो, वे वार्षिक लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम नीचे दिए हुए दो चरणों में प्रकट करेंगे:

- (i) पहले चरण में लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए लेखापरीक्षक (ऑडिटर) द्वारा की जाएगी जो सूचीबद्ध एंटीटी की वित्त-संबंधी जानकारी की लेखापरीक्षा करेगा, और ऐसे वित्तीय परिणाम वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास प्रस्तुत किए जाएंगे।
- (ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा पूरी कर लिए जाने के बाद, वित्तीय परिणाम स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से नौ महीनों के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे।”

छ. उप-विनियम (2) में, खंड (ड) में, शब्दों “लेखापरीक्षा रिपोर्टों” के पश्चात्, चिह्न तथा शब्द “/ सीमित समीक्षा रिपोर्टों (लिमिटेड रिव्यू रिपोर्टों)” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

ज. उप-विनियम (2) में, खंड (ड) में, शब्द “मोचनीय डिबेंचरों”, शब्द “प्रतिभूतियों” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

झ. उप-विनियम (2) में, खंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(च) सूचीबद्ध एंटीटी छमाही के अपने एकल या समेकित वित्तीय परिणामों के भागस्वरूप, एक नोट के माध्यम से, छमाही के समाप्त होने पर आस्तियों (असेट्स) और दायित्वों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट) भी प्रस्तुत करेगी।”

ञ. उप-विनियम (4) में, शब्द “छमाही”, शब्द “तिमाही” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

ट. उप-विनियम (4) में, खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्, -

“(ड) करंट रेशियो;

(ढ) लॉग टर्म डैट टू वर्किंग कैपिटल;

(ण) बैड डैट्स टू अकाउंट रिसेिवेबल रेशियो;

(त) करंट लाइबिलिटी रेशियो;

(थ) टोटल डैट्स टू टोटल असेट्स;

(द) डैटर्स टर्नओवर;

(ध) इन्वेंटरी टर्नओवर;

(न) ऑपरेटिंग मार्जिन (%);

(प) नेट प्रॉफिट मार्जिन (%);

(फ) किसी क्षेत्र (सेक्टर) विशेष के वैसे ही अनुपात, जो भी लागू हों।”

ठ. उप-विनियम (4) में, पहले परंतुक में, शब्दों “आस्ति कवर” का लोप हो जाएगा, और शब्दों “गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों” के पश्चात्, चिह्न तथा शब्द “/ आवास वित्त कंपनियों” अंतःस्थापित किए जाएंगे।”

ड. उप-विनियम (4) में, दूसरे परंतुक का लोप हो जाएगा।

ढ. उप-विनियम (5) का लोप हो जाएगा।

ण. उप-विनियम (6) में, खंड (क) का लोप हो जाएगा।

त. उप-विनियम (7) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(7) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, प्रत्येक तिमाही के समाप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, स्टॉक एक्सचेंज के पास एक विवरण प्रस्तुत करेगी, जिसमें असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्क्यूरिटीज़) के निर्गम (इश्यु) से आए पैसों (आगमों / प्रोसीड्स) के इस्तेमाल का ब्यौरा दिया जाएगा, और यह तब तक दिया जाता रहेगा जब तक निर्गम से आए पैसों का पूरी तरह से इस्तेमाल न कर लिया जाए या वह प्रयोजन पूरा न हो जाए जिसके लिए पैसे जुटाए गए थे।”

थ. उप-विनियम (7) के पश्चात्, एक नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(7क) निर्गम (इश्यु) के उद्देश्यों के अनुसार आए पैसों (आगमों / प्रोसीड्स) का जिस तरह से इस्तेमाल किया जाना था, उसकी तुलना में यदि आए पैसों के इस्तेमाल में कोई बड़ा फर्क (विचलन) आता हो, तो इसका उल्लेख बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित फॉर्मेट में किया जाएगा।”

द. उप-विनियम (8) में, शब्द “कलेंडर दिनों”, शब्दों “कार्य-दिवसों” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

XV. विनियम 53 में,

क. विनियम 53 के तहत दिया हुआ प्रावधान उप-विनियम (1) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा।

ख. उप-विनियम (1) में, खंड (च) के पश्चात्, एक नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(2) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी निम्नलिखित को स्टॉक एक्सचेंज और डिबेंचर न्यासी के पास प्रस्तुत करेगी और अपने वेबसाइट पर डलवाएगी—

(क) वार्षिक साधारण बैठक की सूचना (नोटिस) के साथ शेयरधारकों को भिजवाई गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति (जिस तारीख से शेयरधारकों को भिजवाना शुरू किया गया उस तारीख तक); और

(ख) वार्षिक रिपोर्ट में कोई बदलाव होने पर, उसकी संशोधित प्रति और उसके साथ-साथ इस प्रकार किए गए बदलावों के ब्यौरे (स्पष्टीकरण सहित) वार्षिक साधारण बैठक के बाद 48 घंटों के भीतर।”

XVI. विनियम 54 में,

क. उप-विनियम (1) में, शब्दों “के अनुसार” के पश्चात् और शब्दों “असेट कवर” से पूर्व, शब्द “अधिक” अंतःस्थापित किया जाएगा।

ख. उप-विनियम (2) के पश्चात्, एक नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(3) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी अपने वित्तीय परिणामों के साथ-साथ, असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्क्यूरिटीज़) के मामले में जो भी असेट कवर हो उसकी जानकारी बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित फॉर्मेट में देगी।”

XVII. विनियम 55 में, शब्द “ऋण” का लोप हो जाएगा।

XVIII. विनियम 56 में,

क. उप-विनियम (1) में, खंड (घ) में, शब्दों “के अनुसार” के पश्चात् और शब्दों “असेट कवर” से पूर्व, शब्द “अधिक” अंतःस्थापित किया जाएगा।

ख. उप-विनियम (1) में, खंड (घ) में, चिह्न तथा शब्द “, छमाही वित्तीय परिणामों”, चिह्नों तथा शब्दों “(उसी प्रकार और उसी फॉर्मेट में जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए), वित्तीय परिणामों” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ग. खंड (घ) के पश्चात् दिए हुए परंतुक में, शब्द “छमाही”, शब्द “यह” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

घ. उप-विनियम (2) से पूर्व, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(1क) सूचीबद्ध (लिस्टेड) एंटीटी स्टॉक एक्सचेंज को सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देने और/या इन विनियमों के विनियम 51 के अनुसार प्रकट (डिस्क्लोज़) की जाने वाली जानकारी [जहाँ तक वह असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़) के ब्याज, मूलधन, निर्गम (इश्यू) तथा शर्तों आदि, रेटिंग, आस्तियों (असेट्स) पर भार (चार्ज) सृजित करने, सूचनाओं (नोटिस), संकल्पों (रेज़ोल्यूशन) तथा असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों के धारकों (होल्डर्स) की बैठकों से संबंधित हो] देने के समय ही डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) को भी इस संबंध में प्रकटीकरण करेगी।”

XIX. विनियम 57 में,

क. उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(1) सूचीबद्ध (लिस्टेड) एंटीटी, ब्याज या लाभांश या मूलधन के देय होने की तारीख से एक कार्य-दिवस के भीतर, असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्क्यूरिटीज़) के मामले में भुगतान की स्थिति के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज के पास एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी।”

ख. उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नए उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-

“(4) सूचीबद्ध (लिस्टेड) एंटीटी, तिमाही के शुरू होने से पहले के पाँच कार्य-दिवसों के भीतर, उन सभी असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्क्यूरिटीज़) के ब्यौरे प्रदान करेगी, जिनके संबंध में तिमाही के दौरान ब्याज / लाभांश / मूलधन की रकम का भुगतान किया जाना होगा।

(5) सूचीबद्ध (लिस्टेड) एंटीटी तिमाही के समाप्त होने की तारीख से सात कार्य-दिवसों के भीतर:

(क) एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगी, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि जिन असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में उस तिमाही के दौरान ब्याज / लाभांश / मूलधन की रकम अदा की जानी थी उसका भुगतान कर दिया गया है; और

(ख) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में अदा न किए ब्याज / लाभांश / मूलधन की रकम के ब्यौरे तिमाही के समाप्त होने तक की स्थिति के अनुसार प्रदान करेगी।”

XX. विनियम 59 में,

क. उप-विनियम (1) में, खंड (क) में, शब्द “डिबेंचर”, शब्दों तथा चिह्नों “असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्क्यूरिटीज़)” से प्रतिस्थापित हो जाएगा, और शब्दों तथा चिह्नों “संपरिवर्तन (कन्वर्जन),” का लोप हो जाएगा।

ख. उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में, शब्द तथा चिह्न “असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के देय लाभांश, संपरिवर्तन,”, शब्दों तथा चिह्न “लाभांश के रूप में,” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ग. उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(2) उप-विनियम (1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज की मंजूरी (अनुमोदन):

(क) निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) और डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) की मंजूरी के बाद ही दी जाएगी, और

(ख) उस वर्ग की प्रतिभूतियों (सिक्क्यूरिटीज़) के धारकों (होल्डर) में से कम से कम तीन-चौथाई धारकों (मूल्य के अनुसार) की लिखित सहमति लेने के बाद ही दी जाएगी:

परंतु यह कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी ऐसी सहमति लेने के संबंध में दूरस्थ ई-मतदान (रिमोट ई-वोटिंग) की सुविधा प्रदान करेगी।”

XXI. विनियम 61 में,

क. उप-विनियम (2) का लोप हो जाएगा।

XXII. विनियम 61 के पश्चात् और विनियम 62 से पूर्व, निम्नलिखित नया विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“अदावाकृत असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (वे असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ जिनके संबंध में दावा न किया गया हो) और उन पर मिलने वाले फायदों के संबंध में कार्यवाही करना

61क.(1) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी ब्याज / लाभांश (डिविडेंड) / मोचन (रिडेंप्शन) की वह रकम जब्त नहीं करेगी, जिसके संबंध में दावा न किया गया हो।

(2) जहाँ ब्याज / लाभांश (डिविडेंड) / मोचन (रिडेंप्शन) की रकम के भुगतान की देय तारीख से तीस दिनों के भीतर ब्याज / लाभांश / मोचन की रकम के संबंध में दावा न किया जाए, वहाँ सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी, तीस दिनों की ऐसी अवधि के समाप्त होने की तारीख से सात दिनों के भीतर, सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में खोले जाने वाले निलंब खाते (एस्करो अकाउंट) में वह रकम अंतरित (ट्रांसफर) करेगी:

परंतु यह कि ब्याज / लाभांश / मोचन की ऐसी रकम, जिसके संबंध में दावा न किया गया हो और जो इस उप-विनियम के अधिसूचित होने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार सात वर्ष से कम की अवधि तक बकाया हो, तीस दिनों के भीतर निलंब खाते (एस्करो अकाउंट) में अंतरित (ट्रांसफर) कर दी जाएगी, जहाँ उसे उतनी अवधि तक रखा जाएगा जितना समय सात वर्ष पूरे होने में बचा हो।

(3) निलंब खाते (एस्करो अकाउंट) में अंतरित (ट्रांसफर) की गई ऐसी कोई रकम जिसके संबंध में सात वर्षों तक दावा न किया जाए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अनुसार बनाई गई ‘निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि’ (इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड) में अंतरित (ट्रांसफर) कर दी जाएगी।”

XXIII. विनियम 62 में,

क. उप-विनियम (1) में, खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(कक) बोर्ड की संरचना;”

ख. उप-विनियम (1) में, खंड (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(ख) वित्तीय जानकारी, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

- (i) निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) की उस बैठक की सूचना (नोटिस) जिसमें वित्तीय परिणामों के संबंध में चर्चा की जाएगी;
- (ii) वित्तीय परिणाम, निदेशक मंडल की उस बैठक की समाप्ति पर जिसमें वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी गई हो;
- (iii) वार्षिक रिपोर्ट की पूरी प्रति जिसमें तुलनपत्र, लाभ और हानि लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, कंपनी संचालन (शासन) संबंधी रिपोर्ट आदि शामिल है;”

ग. उप-विनियम (1) में, खंड (ज) में, शब्द “घटनाओं” का लोप हो जाएगा।

घ. उप-विनियम (1) में, खंड (ज) में, उप-खंड (iii) का लोप हो जाएगा।

- ड. उप-विनियम (1) में, खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,-
- “(झ) एंटिटी द्वारा अपनी सभी असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के संबंध में ली गई सभी क्रेडिट रेटिंग (साख निर्धारण) के ब्यौरे, जिन्हें रेटिंग में कोई बदलाव होने पर तुरंत अपडेट किया जाए;
- (ञ) इन विनियमों के विनियम 52 के उप-विनियम (7) और उप-विनियम (7क) में यथा निर्धारित विचलन (विचलनों) [डेविएशन] या फेरफार (वेरिएशन) के विवरण;
- (ट) वार्षिक विवरणी, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत उल्लेख किया गया हो।”
- च. उप-विनियम (1) के पश्चात् और उप-विनियम (2) से पूर्व, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
- “(1क) जिन सूचीबद्ध एंटिटियों के मामले में विनियम 15 से विनियम 27 लागू हैं, वे अपने वेबसाइट पर निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी भी प्रकट करेंगी:
- (क) निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) की विभिन्न समितियों की संरचना से संबंधित जानकारी;
- (ख) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें आदि;
- (ग) निदेशक मंडल और वरिष्ठ (ज्येष्ठ) प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों की आचार संहिता;
- (घ) सतर्कता संबंधी व्यवस्था (विजिल मैकेनिज़्म) / पर्दाफाश किए जाने (विसल ब्लोअर) संबंधी नीति निर्धारित किए जाने के ब्यौरे;
- (ङ) गैर-कार्यपालक निदेशकों (नॉन-एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर्स) को भुगतान किए जाने से संबंधित मानदंड, यदि यह जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट न की गई हो;
- (च) इन विनियमों के विनियम 24क के उप-विनियम (2) के अनुसार सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट;
- (छ) संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों (रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन) से संबंधित नीति;
- (ज) ‘महत्वपूर्ण’ (‘तात्विक / मटिरियल’) समनुषंगियों (सब्सिडियरीज़) का निर्धारण करने संबंधी नीति;
- (झ) स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए परिचय कार्यक्रमों के ब्यौरे, जिनमें निम्नलिखित ब्यौरे शामिल हैं:-
- (i) उन कार्यक्रमों की संख्या जिनमें स्वतंत्र निदेशक उपस्थित रहे [वर्ष के दौरान और वर्तमान तारीख तक कुल मिलाकर (संचयी आधार पर)],
- (ii) ऐसे कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों ने कितने घंटे बिताए [वर्ष के दौरान और वर्तमान तारीख तक कुल मिलाकर (संचयी आधार पर)], और
- (iii) अन्य संबंधित ब्यौरे।”
- छ. उप-विनियम (2) में, शब्द, चिह्न तथा अंक “उप-विनियम (1)”, शब्दों, चिहनों तथा अंकों “उप-विनियम (1) और उप-विनियम (1क)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- ज. उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(4) सूचीबद्ध एंटीटी अपने वेबसाइट पर डाली गई सामग्री में कोई बदलाव होने पर, ऐसी सामग्री में इस प्रकार कोई बदलाव होने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर उसे अद्यतन (अपडेट) करेगी।”

XXIV. विनियम 63 में,

क. उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(1) जिस एंटीटी ने अपनी ‘निर्धारित प्रतिभूतियाँ’ (विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ) और ‘असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ’ (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराई हों, वह इन विनियमों के अध्याय-IV के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य रहेगी।”

ख. उप-विनियम (2) में, खंड (क) में, चिह्नों तथा संख्याओं “(2),(3)” का लोप हो जाएगा।

ग. उप-विनियम (2) में, खंड (ग) में, चिह्नों, अंक तथा शब्द “(5) और” का लोप हो जाएगा, और चिह्नों तथा अंक “(6)” के पश्चात्, शब्द, चिह्न तथा अंक “और (7)” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

घ. उप-विनियम (2) में, खंड (घ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(घ) विनियम 53 से 62”

ङ. उप-विनियम (2) में, खंड (ङ) से (ठ) का लोप हो जाएगा।

XXV. अनुसूची-III में, भाग-ख में,-

क. शीर्षक में, शब्दों “ऋण” और “एवं असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर” का लोप हो जाएगा।

ख. पैरा-क में, शब्द तथा चिह्न “असंपरिवर्तनीय अधिमानी शेयरों (नॉन-कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर) के ब्याज या लाभांश के भुगतान अथवा असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल डेट सिक्यूरिटीज़) या मोचनीय अधिमानी शेयरों (रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स) के मोचन (रिडेंप्शन)” शब्दों तथा चिह्नों “असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के ब्याज या लाभांश के भुगतान अथवा मोचन (रिडेंप्शन) की रकम के भुगतान” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ग. पैरा-क में, खंड (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(1) असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के संबंध में ब्याज, लाभांश के या मोचन की रकम के अथवा दोनों के समय पर भुगतान में प्रत्याशित चूक और असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्यूरिटीज़) के संबंध में जमानत रखने में भी चूक (जैसे ही उसका पता चले);”

घ. पैरा-क में, खंड (2) में, शब्दों “ऋण” और “या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयर” का लोप हो जाएगा।

ङ. पैरा-क में, खंड (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(3) कोई ऐसी कार्रवाई, जिसके परिणामस्वरूप किन्हीं असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का पूर्णतः या अंशतः मोचन (रिडेंप्शन), घटाव, रद्दकरण, रिटायरमेंट हो जाता हो;”

च. पैरा-क में, खंड (5) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(5) उसकी जो असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, उनमें से किसी के रूप या स्वरूप में अथवा उनके धारकों के अधिकारों या विशेषाधिकारों में कोई परिवर्तन और इस प्रकार परिवर्तित हुई प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) की सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के लिए आवेदन, यदि स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) द्वारा ऐसा अपेक्षित हो;”

छ. पैरा-क में, खंड (11) में, स्पष्टीकरण का लोप हो जाएगा।

ज. पैरा-क में, खंड (14) में, उप-खंड (ख) में, शब्द “डिबेंचर”, शब्दों तथा चिह्नों “ऋण प्रतिभूति (डैट सिक्यूरिटी) के” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

झ. पैरा-क में, खंड (15) में, शब्दों “मोचनीय अधिमान्नी शेषरों या असंपरिवर्तनीय” का लोप हो जाएगा।

ञ. पैरा-क में, खंड (16) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(16) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी निदेशक मंडल की उन बैठकों के परिणाम से एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को, बैठक के समाप्त होने के 30 मिनटों के भीतर, अवगत कराएगी, जिन बैठकों में निम्नलिखित के संबंध में विचार किया गया हो:

क. असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों के जरिए पैसा जुटाए जाने के प्रस्ताव के संबंध में निर्णय लेने के संबंध में

ख. वित्तीय परिणामों के संबंध में:

परंतु यह कि यदि बोर्ड की बैठकें एक दिन से ज्यादा चलें, तो जिस दिन की बैठक में वित्तीय परिणामों पर विचार किया गया हो, उस दिन हुई बैठक समाप्त होने के तीस मिनटों के भीतर वित्तीय परिणाम प्रकट किए जाएंगे।”

ट. पैरा-क में, खंड 16 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(17) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के संप्रवर्तक (प्रमोटर) या प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति या निदेशक या कर्मचारियों या सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा की गई धोखाधड़ी / चूक अथवा प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति या संप्रवर्तक की गिरफ्तारी।

(18) निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों [प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर), मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर), मुख्य वित्तीय अधिकारी (चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर), कंपनी सचिव (कंपनी सेक्रेटरी), आदि], लेखापरीक्षक (ऑडिटर) और अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) में बदलाव।

(19) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के लेखापरीक्षक (ऑडिटर) द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के मामले में, उस लेखापरीक्षक द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के जो विस्तृत कारण बताए गए हों, उन्हें सूचीबद्ध एंटीटियों द्वारा, स्टॉक एक्सचेंजों को, जल्द से जल्द (किंतु लेखापरीक्षक की ओर से ऐसे कारण प्राप्त होने के चौबीस घंटों के भीतर) प्रकट किया जाएगा।

(20) बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों / उधारों के संबंध में समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) / पुनर्संरचना (रीस्ट्रक्चरिंग), जिसमें शामिल हैं:

(i) ऋणों / उधारों के संबंध में समाधान (रेज़ोल्यूशन) की प्रक्रिया शुरू किए जाने का निर्णय;

(ii) उधार देने वालों द्वारा इंटर-क्रेडिट एग्रीमेंट (आईसीए) पर हस्ताक्षर;

(iii) समाधान योजना को अंतिम रूप देना;

(iv) समाधान योजना को अमल में लाना;

(v) उधार देने वालों द्वारा तय की गई समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) / पुनर्संरचना संबंधी स्कीम (रिस्ट्रक्चरिंग प्लान) की मुख्य बातें, जिनमें कारोबार से जुड़ी गोपनीय जानकारी आदि शामिल नहीं है।

(21) बैंक के साथ एक बार में किया गया निपटारा (सैटलमेंट)।

(22) किसी पक्षकार / किन्हीं लेनदारों द्वारा परिसमापन (वाइडिंग-अप) के संबंध में दाखिल की गई याचिका।

(23) सूचीबद्ध एंटीटी की वार्षिक और असामान्य साधारण बैठकों की कार्यवाहियाँ।

(24) दिवाला संहिता (इन्सॉल्वेंसी कोड) के तहत सूचीबद्ध कारपोरेट देनदार (लिस्टिड कारपोरेट डैटर) की कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (कारपोरेट इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस / सीआईआरपी) से संबंधित निम्नलिखित घटनाएँ:

- क) कारपोरेट आवेदक द्वारा सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन दाखिल करना, और साथ ही चूक की रकम का भी उल्लेख किया जाए;
- ख) वित्तीय लेनदारों द्वारा कारपोरेट देनदार के खिलाफ सीआईआरपी शुरू करने के लिए आवेदन दाखिल करना, और साथ ही चूक की रकम का भी उल्लेख किया जाए;
- ग) अधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा आवेदन स्वीकार करना (या आवेदन अस्वीकार करना या आवेदन वापस ले लिया जाना, जो भी लागू हो), और साथ ही चूक की रकम का भी उल्लेख किया जाए;
- घ) दिवाला संहिता की धारा 13 के तहत, अधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुसरण में, की गई सार्वजनिक घोषणा;
- ङ) लेनदारों की सूची, जिसे कारपोरेट देनदार द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 13(2)(ग) के तहत प्रदर्शित करना अपेक्षित है;
- च) समाधान विशेषज्ञ (रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) की नियुक्ति / को बदलना (का रिप्लेसमेंट);
- छ) लेनदारों की समिति की बैठकों की सूचना (बैठक से पूर्व अथवा बैठक के पश्चात्);
- ज) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 36क(5) के तहत निर्धारित किए गए फॉर्म में दिवाला संहिता की धारा 25(2)(ज) के तहत समाधान योजनाओं (रेज़ोल्यूशन प्लान) के आमंत्रण के संक्षिप्त विवरण;
- झ) समाधान विशेषज्ञ को मिली समाधान योजनाओं की संख्या;
- ञ) अधिकरण (ट्रायब्युनल) के पास समाधान योजना दाखिल करना;
- ट) अधिकरण (ट्रायब्युनल) द्वारा समाधान योजना के संबंध में मंजूरी (या उसकी अस्वीकृति, यदि लागू हो);
- ठ) जिस समाधान योजना (रेज़ोल्यूशन प्लान) की मंजूरी दिवाला संहिता के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (अड्जुडिकेटिंग अथॉरिटी) द्वारा दी गई हो, उसकी मुख्य बातें और उसके ब्यौरे (जिनमें कारोबार से जुड़ी गोपनीय जानकारी शामिल नहीं हैं), जिनमें ये ब्यौरे भी शामिल होंगे:
 - (i) कंपनी की पहले की और बाद की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ);
 - (ii) सीआईआरपी के बाद कंपनी की आस्तियों (असेट्स) के ब्यौरे;
 - (iii) कंपनियों की आस्तियों पर जो जमानत (सिक्यूरिटीज़) जारी रहेंगी, उनके ब्यौरे;
 - (iv) कंपनी पर अन्य महत्वपूर्ण दायित्व;
 - (v) पहले का और बाद का ब्यौरेवार शेयरधारिता स्वरूप (शेयरोहल्लिंग पैटर्न), यह मानते हुए कि संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) का 100% संपरिवर्तन (कन्वर्ज़न) हो चुका है;
 - (vi) कंपनी में लगाए गए पैसों (फंड), लेनदारों को किए गए भुगतान के ब्यौरे;

- (vii) लेनदेन (ट्रांजैक्शन) की वजह से आने वाले नए निवेशकों पर अतिरिक्त दायित्व, इस प्रकार की गई फंडिंग के स्रोत आदि;
- (viii) निवेशकों पर पड़ने वाला असर – संशोधित पी/ई, आर.ओ.एन.डब्ल्यू. अनुपात, आदि;
- (ix) नए संप्रवर्तकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (व्यक्तियों), यदि कोई हो (हों), के नाम और पहले वे जो कारोबार या कार्य करते थे उससे जुड़ा पिछला अनुभव। जहाँ संप्रवर्तक (प्रोमोटर) कंपनियाँ हों, वहाँ ऐसी कंपनी का पूरा पिछला रिकॉर्ड और नियंत्रण रखने वाले प्रकृत व्यक्तियों (नैचुरल पर्सन) के नाम;
- (x) कारबार नीति (बिजनेस स्ट्रेटेजी) का संक्षिप्त विवरण।
- (25) निर्गम (इश्यू) या मोचन (रिडेंप्शन) या कॉल/पुट ऑप्शन का प्रयोग किए जाने संबंधी शर्तों आदि में किसी बदलाव से संबंधित सूचना।
- (26) असंपरिवर्तनीय डिबेंचरों (नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर्स) और/या असंपरिवर्तनीय मोचनीय अधिमानी शेयरों (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर) की शर्तों आदि में किसी प्रकार के बदलाव या उनमें से किसी शर्त आदि के उल्लंघन से संबंधित सूचना।
- (27) ब्याज या लाभांश या मूलधन की जिस रकम के संबंध में दावा न किया गया हो, उसे जब्त किए जाने से संबंधित सूचना।
- (28) डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (साख निर्धारण एजेंसी) या रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता (ट्रांसफर एजेंट) में किसी बदलाव से संबंधित सूचना।
- (29) सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा किसी तीसरे पक्ष को दिए गए कंफर्ट / दी गई गारंटी या दिए गए किसी क्रेडिट एन्हांसमेंट (दी गई किसी क्रेडिट वृद्धि) से संबंधित सूचना।
- (30) ऐसी कोई अन्य जानकारी / बदलाव:
- (क) जिससे असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के धारकों के अधिकारों और उनकी बाध्यताओं पर असर पड़ता हो; और
- (ख) जो जनता के लिए (पब्लिक डोमेन में) उपलब्ध न हो, किंतु जो असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के धारकों (होल्डर्स) को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने और ऐसी सूचीबद्ध प्रतिभूतियों (लिस्टिड सिक्यूरिटीज़) का बनावटी बाजार बनने से रोकने के लिए जरूरी हो।”

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./243/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :
 - क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा

- द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा
- ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
- न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा
- प) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33, द्वारा
- फ) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/02, द्वारा
- ब) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/22, द्वारा
- भ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- म) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/35, द्वारा
- य) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/42, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 7th September, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/47.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,-

I. in regulation 2, in sub-regulation (1),

a. clause (t), shall be substituted with the following, namely, -

“non-convertible debt securities’ means ‘debt securities’ as defined under the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;”

- b. clause (u) shall be substituted with the following, namely, -
- “non-convertible redeemable preference shares’, ‘non-convertible securities’, ‘perpetual debt instrument’ and ‘perpetual non-cumulative preference share’ shall have the same meaning as assigned to them in the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021;”
- c. in clause (v), the words, numbers and symbols “clause (j) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008, clause (p) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Redeemable Preference Shares) Regulations, 2013” shall be substituted with the words, numbers and symbols “clause (y) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021”.
- II. in regulation 3,
- a. in sub-regulation (1), clause (b) shall be substituted with the following, namely, -
- “(b) non-convertible securities;”
- b. after sub-regulation (2), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -
- “(3) The provisions of these regulations which become applicable to listed entities on the basis of the criterion of the value of outstanding listed debt securities shall continue to apply to such entities even if they fall below such thresholds as mentioned in sub-regulation (1A) of regulation 15.”
- III. in Chapter IV, in the heading, the word “A” shall be inserted after the words “OBLIGATIONS OF” and the words “AND NON-CONVERTIBLE DEBT SECURITIES” shall be inserted after the words “SPECIFIED SECURITIES”.
- IV. in regulation 15,
- a. after sub-regulation (1), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -
- “(1A) The provisions of this regulation and regulation 16 to regulation 27 of this chapter shall apply to a listed entity which has listed its non-convertible debt securities and has an outstanding value of listed non-convertible debt securities of Rupees Five Hundred Crore and above:
- Provided that in case an entity that has listed its non-convertible debt securities triggers the specified threshold of Rupees Five Hundred Crore during the course of the year, it shall ensure compliance with these provisions within six months from the date of such trigger:
- Provided further that these provisions shall be applicable to a ‘high value debt listed entity’ on a ‘comply or explain’ basis until March 31, 2023 and on a mandatory basis thereafter.
- Explanation (1)- The entities referred in the first proviso to sub-regulation (1A) of regulation 15 are referred to as ‘high value debt listed entities’ for the purpose of this chapter.
- Explanation (2) – The ‘high value debt listed entities’ on the date of notification of this amendment would be determined on basis of value of principal outstanding of listed debt securities as on March 31, 2021.
- Explanation (3) – ‘Comply or explain’ for the purpose of the second proviso to sub-regulation (1A) of regulation 15 shall mean that the entity shall recognize to comply with the provisions and achieve full compliance by March 31, 2023. In case the entity is not able to achieve full compliance with the provisions, till such time, it shall explain the reasons for such non-compliance/ partial compliance and the steps initiated to achieve full compliance in the quarterly compliance report filed under clause (a), sub-regulation (2) of regulation 27 of these regulations.
- Explanation (4) –
- (a) In case of a ‘high value debt listed entity’ that is a Real Estate Investment Trust (REIT), the Board of the Manager of the Real Estate Investment Trust (REIT), shall comply with regulation 15 to regulation 27 of these regulations related to corporate governance;
- (b) In case of a ‘high value debt listed entity’ that is an Infrastructure Investment Trust (InvIT), the Board of the Investment Manager of the Infrastructure Investment Trust (InvIT), shall

- comply with regulation 15 to regulation 27 of these regulations related to corporate governance.”
- b. in sub-regulation (2A), the words “or a ‘high value debt listed entity’” shall be inserted after the words “listed entity”.
 - c. in sub-regulation (2B), the words “or a ‘high value debt listed entity’” shall be inserted after the words “listed entity”.
- V. in regulation 16, in sub-regulation (1), in clause (b), the following shall be inserted after sub-clause (viii), namely, -
- “Explanation- In case of a ‘high value debt listed entity’:
- (a) which is a body corporate, mandated to constitute its board of directors in a specific manner in accordance with the law under which it is established, the non- executive directors on its board shall be treated as independent directors;
 - (b) which is a Trust, mandated to constitute its ‘board of trustees’ in accordance with the law under which it is established, the non-employee trustees on its board shall be treated as independent directors.”
- VI. in regulation 21, sub-regulation (5) shall be substituted with the following, namely, -
- “(5) The provisions of this regulation shall be applicable to:
- i. the top 1000 listed entities, determined on the basis of market capitalization as at the end of the immediate preceding financial year; and,
 - ii. a ‘high value debt listed entity’.”
- VII. in regulation 23, in sub-regulation (9), the following proviso shall be inserted, namely, -
- “Provided that a ‘high value debt listed entity’ shall submit such disclosures along with its standalone financial results for the half year.”
- VIII. in regulation 25, after sub-regulation (11), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -
- “(12) A ‘high value debt listed entity’ shall undertake Directors and Officers insurance (D and O insurance) for all its independent directors for such sum assured and for such risks as may be determined by its board of directors.”
- IX. in regulation 26, in sub-regulation (1), in clause (a), the words and symbol “, ‘high value debt listed entities’” shall be inserted after the words “foreign companies”.
- X. in Chapter V, in the heading, the words “DEBT” and “OR NON-CONVERTIBLE REDEEMABLE PREFERENCE SHARES OR BOTH” shall be omitted.
- XI. in regulation 49,
- a. sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely, -
- “(1) The provisions of this chapter shall apply only to a listed entity which has listed its non-convertible securities on a recognised stock exchange in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.”
- b. sub-regulation (2) shall be omitted.
 - c. the existing Explanation (1) shall be substituted with the following, namely,-
- “Explanation (1) - For the purpose of this chapter, if the listed entity has listed its non-convertible redeemable preference shares, perpetual non-cumulative preference shares or instruments of nature similar to perpetual non-cumulative preference shares, the reference to “interest” in this chapter shall be read as “dividend”.”
- d. the existing Explanation (2) shall be substituted with the following, namely, -
- “Explanation (2) – For the purpose of this chapter, “default” shall mean non-payment of interest/dividend or principal amount in full on the pre-agreed date and shall be recognized at the first instance of delay in servicing of any-interest/dividend or principal amount.”

XII. in regulation 50,

- a. sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely, -

“(1) The listed entity shall give prior intimation to the stock exchange of at least two working days in advance, excluding the date of the intimation and the date of the meeting of the board of directors, about the Board meeting in which any of the following proposals is to be considered:

- (a) an alteration in the form or nature of non-convertible securities that are listed on the stock exchange or in the rights or privileges of the holders thereof;
- (b) an alteration in the date of the interest/ dividend/ redemption payment of non-convertible securities;
- (c) financial results viz. quarterly or annual, as the case may be;
- (d) fund raising by way of issuance of non-convertible securities; or
- (e) any matter affecting the rights or interests of holders of non-convertible securities.”

- b. sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, -

“(2) The listed entity shall also intimate the stock exchange not later than the date of commencement of dispatch of notices, in case of:

- (a) any annual general meeting or extraordinary general meeting that is proposed to be held for obtaining shareholder approval for the proposals at clauses (c) and (d) under sub-regulation (1) of this regulation;
- (b) any meeting of the holders of non-convertible securities in relation to the proposal at clause (e) of sub-regulation (1) of this regulation.”

- c. sub-regulation (3) shall be omitted.

XIII. in regulation 51,

- a. in sub-regulation (1), the words “of non-convertible preference shares or redemption of non-convertible debt securities or redeemable preference shares” shall be substituted with “or redemption of non-convertible securities”.

- b. the Explanation in sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely, -

“Explanation – The expression ‘promptly inform’, shall imply that the stock exchange shall be informed as soon as reasonably possible but not later than twenty-four hours from the date of occurrence of the event or receipt of information. In case the disclosure is made after twenty-four hours of the date of occurrence of the event or receipt of information, the listed entity shall, along with such disclosures provide an explanation for the delay.”

- c. in sub-regulation (2), the words “issued or is issuing non-convertible debt securities and/or non-convertible redeemable preference shares” shall be substituted with the words “listed non-convertible securities”.

- d. after sub-regulation (2), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(3) The listed entity shall disclose on its website, all such events or information which have been disclosed to the stock exchange(s) under this regulation and such disclosures shall be hosted on the website of the listed entity for a minimum period of five years and thereafter as per the archival policy of the listed entity, as disclosed on its website.”

XIV. in regulation 52,

- a. sub-regulation (1) along with the proviso, shall be substituted with the following, namely, -

“(1) The listed entity shall prepare and submit un-audited or audited quarterly and year to date standalone financial results on a quarterly basis in the format as specified by the Board within forty- five days from the end of the quarter, other than last quarter, to the 20ecognized stock exchange(s):

Provided that in case of entities which have listed their debt securities, a copy of the financial results submitted to stock exchanges shall also be provided to Debenture Trustees on the same day the information is submitted to stock exchanges.”

- b. in sub-regulation (2), the words “half yearly” shall be substituted with the word “quarterly”.

- c. in sub-regulation (2), clause (a) and the proviso under clause (a) shall be substituted with the following, namely, -
- “(a) Un-audited financial results on quarterly basis shall be accompanied by limited review report prepared by the statutory auditors of the listed entity, in the format as specified by the Board:
- Provided that in case of issuers whose accounts are audited by the Comptroller and Auditor General of India, the report shall be provided by any practising Chartered Accountant.”
- d. in sub-regulation (2), in clause (b), the words and symbol “Half-yearly” shall be substituted with the words “The quarterly”.
- e. in sub-regulation (2), in clause I, the words and symbol “half-yearly” shall be substituted with the word “quarterly”.
- f. in sub-regulation (2), clause (d) shall be substituted with the following, namely,-
- “(d) The annual audited standalone and consolidated financial results for the financial year shall be submitted to the stock exchange(s) within sixty days from the end of the financial year along with the audit report:
- Provided that issuers, who are being audited by the Comptroller and Auditor General of India, shall adopt the following two step process for disclosure of the annual audited financial results:
- (i) The first level audit shall be carried out by the auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India, who shall audit the financials of the listed entity and such financial results shall be submitted to the Stock Exchange(s) within sixty days from the end of the financial year.
- (ii) After the completion of audit by the Comptroller and Auditor General of India, the financial results shall be submitted to the Stock exchange(s) within nine months from the end of the financial year.”
- g. in sub-regulation (2), in clause I, the words and symbols “/limited review reports” shall be inserted after the words “audit reports”.
- h. in sub-regulation (2), in clause I, the words “redeemable debentures” shall be substituted with the word “securities”.
- i. in sub-regulation (2), after clause I, the following new clause shall be inserted, namely, -
- “(f) The listed entity shall also submit as part of its standalone or consolidated financial results for the half year, by way of a note, a statement of assets and liabilities and statement of cash flows as at the end of the half year.”
- j. in sub-regulation (4), the words “half yearly” shall be substituted with the word “quarterly”.
- k. in sub-regulation (4), the following clauses shall be inserted after clause (l), namely, -
- “(m) current ratio;
- (n) long term debt to working capital;
- (o) bad debts to Account receivable ratio;
- (p) current liability ratio;
- (q) total debts to total assets;
- (r) debtors turnover;
- (s) inventory turnover;
- (t) operating margin (%);
- (u) net profit margin (%);
- (v) sector specific equivalent ratios, as applicable.”
- l. in sub-regulation (4), in the first proviso, the words “asset cover” shall be omitted and the words and symbols “/housing finance companies” shall be inserted after the words “non banking financial companies”.

- m. in sub-regulation (4), the second proviso shall be omitted.
 - n. sub-regulation (5) shall be omitted.
 - o. in sub-regulation (6), clause (a) shall be omitted.
 - p. sub-regulation (7) shall be substituted with the following, namely, -
 - “(7) The listed entity shall within forty-five days from the end of every quarter submit to the stock exchange, a statement indicating the utilization of issue proceeds of non-convertible securities, which shall be continued to be given till such time the issue proceeds have been fully utilised or the purpose for which these proceeds were raised has been achieved.”
 - q. after sub-regulation (7), a new sub-regulation shall be inserted, namely, -
 - “(7A) In case of any material deviation in the use of proceeds as compared to the objects of the issue, the same shall be indicated in the format as specified by the Board.”
 - r. in sub-regulation (8), the word “calendar” shall be substituted with the word “working”.
- XV. in regulation 53,
- a. the provision under regulation 53 shall be numbered as sub-regulation (1).
 - b. after clause (f) in the newly numbered sub-regulation (1), a new sub-regulation shall be inserted, namely, -
 - “(2) The listed entity shall submit to the stock exchange and the debenture trustee and publish on its website-
 - (a) a copy of the annual report sent to the shareholders along with the notice of the annual general meeting, not later than the date of commencement of dispatch to its shareholders; and
 - (b) in the event of any changes to the annual report, the revised copy along with the details and explanation for the changes, not later than 48 hours after the annual general meeting.”
- XVI. in regulation 54,
- a. in sub-regulation (1), the word “higher” shall be inserted before the words “asset cover as per the terms”.
 - b. after sub-regulation (2), a new sub-regulation shall be inserted, namely, -
 - “(3) The listed entity shall disclose the asset cover available in case of non-convertible debt securities along with its financial results in the format as specified by the Board.”
- XVII. in regulation 55, the word “debt” shall be omitted.
- XVIII. in regulation 56,
- a. in sub-regulation (1), in clause (d), the word “higher” shall be inserted before the words “asset cover as per the terms”.
 - b. in sub-regulation (1), in clause (d), the words and symbol “half-yearly financial results” shall be substituted with the words “financial results, in the manner and format as specified by the Board”.
 - c. in the proviso after clause (d), the words “half yearly” shall be substituted with the word “this”.
 - d. the following new sub-regulation shall be inserted before sub-regulation (2), namely, -
 - “(1A) The listed entity shall also disclose to the Debenture Trustee at the same time as it has intimated to the stock exchange, all material events and/or information as disclosed under regulation 51 of these regulations in so far as it relates to the interest, principal, issue and terms of non-convertible debt securities, rating, creation of charge on the assets, notices, resolutions and meetings of holders of non-convertible debt securities.”
- XIX. in regulation 57,
- a. sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely, -
 - “(1) The listed entity shall submit a certificate to the stock exchange within one working day of the interest or dividend or principal becoming due regarding status of payment in case of non-convertible securities.”

- b. after sub-regulation (3), the following new sub-regulations shall be inserted, namely, -
- “(4) The listed entity shall within five working days prior to the beginning of the quarter provide details for all the non-convertible securities for which interest/dividend/principal obligations shall be payable during the quarter.
- (5) The listed entity shall within seven working days from the end of the quarter provide:
- (a) a certificate confirming the payment of interest/dividend/principal obligations for non-convertible securities which were due in that quarter; and
- (b) the details of all unpaid interest/dividend/principal obligations in relation to non-convertible securities at the end of the quarter.”

XX. In regulation 59,

- a. in sub-regulation (1), in clause (a), the word “debenture” shall be substituted with the words “non-convertible debt securities” and the word “conversion, shall be omitted.
- b. in sub-regulation (1), in clause (b), the words “of non-convertible preference shares payable, conversion” shall be omitted.
- c. in sub-regulation (2), in clause (a), the words “in case of non-convertible debt securities” shall be omitted.
- d. in sub-regulation (2), clause (b) shall be substituted with the following, namely, -
- “(b) obtaining consent in writing of the holders of not less than three-fourths, by value of holders of that class of securities:
- Provided that the listed entity shall provide the facility of remote e-voting to facilitate such consent.”

XXI. in regulation 61,

- a. sub-regulation (2) shall be omitted.

XXII. after regulation 61 and before regulation 62, the following new regulation shall be inserted, namely,

“Dealing with unclaimed non-convertible securities and benefits accrued thereon

61A. (1) The listed entity shall not forfeit unclaimed interest/dividend/redemption amount.

- (2) Where the interest/dividend/redemption amount has not been claimed within thirty days from the due date of interest/ dividend / redemption payment, a listed entity shall within seven days from the date of expiry of the said period of thirty days, transfer the amount to an escrow account to be opened by the listed entity in any scheduled bank:

Provided that the interest/ dividend/ redemption amount that is unclaimed and outstanding for a period of less than seven years as on the date of notification of this sub-regulation shall be transferred to the escrow account within thirty days, where it shall remain for the intervening period up to seven years.

- (3) Any amount transferred to the escrow account that remains unclaimed for seven years shall be transferred to the ‘Investor Education and Protection Fund’ constituted in terms of section 125 of the Companies Act, 2013.”

XXIII. in regulation 62,

- a. in sub-regulation (1), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely, -
- “(aa) composition of the Board;
- b. in sub-regulation (1), clause (b) shall be substituted with the following, namely, -
- “(b) financial information including:
- (i) notice of meeting of the board of directors where financial results shall be discussed;
- (ii) financial results, on the conclusion of the meeting of the board of directors where the financial results were approved;
- (iii) complete copy of the annual report including balance sheet, profit and loss account, directors report, corporate governance report etc;”

- c. in sub-regulation (1), in clause (h), the word “events” shall be omitted.
- d. in sub-regulation (1), in clause (h), in sub-clause (i), the word “on” shall be omitted.
- e. in sub-regulation (1), in clause (h), sub-clause (iii) shall be omitted.
- f. in sub-regulation (1), after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely, -
 - “(i) all credit ratings obtained by the entity for all its listed non-convertible securities, updated immediately upon any revision in the ratings;
 - (j) statements of deviation(s) or variation(s) as specified in sub-regulation (7) and sub-regulation (7A) of regulation 52 of these regulations;
 - (k) annual return as provided under section 92 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.”
- g. after sub-regulation (1) and before sub-regulation (2), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -
 - “(1A) The listed entities to whom regulations 15 to regulation 27 are applicable shall also make the following additional disclosures on their website:
 - (a) composition of the various committees of the board of directors;
 - (b) terms and conditions of appointment of independent directors;
 - (c) code of conduct of the board of directors and senior management personnel;
 - (d) details of establishment of vigil mechanism/ whistle blower policy;
 - (e) criteria of making payments to non-executive directors, if the same has not been disclosed in the annual report;
 - (f) secretarial compliance report as per sub-regulation (2) of regulation 24A of these regulations;
 - (g) policy on dealing with related party transactions;
 - (h) policy for determining ‘material’ subsidiaries;
 - (i) details of familiarization programmes imparted to independent directors including the following details:-
 - (i) number of programmes attended by the independent directors (during the year and on a cumulative basis till date),
 - (ii) number of hours spent by the independent directors in such programmes (during the year and on cumulative basis till date), and
 - (iii) other relevant details.”
- h. in sub-regulation (2), the words and symbols “sub-regulation (1)” shall be substituted with words and symbols “sub-regulations (1) and (1A)”.
- i. after sub-regulation (3), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -
 - “(4) The listed entity shall update any change in the content of its website within two working days from the date of such change in content.”

XXIV. in regulation 63,

- a. in sub-regulation (1), the word “Entity” shall be substituted with the words “An entity” and the words and symbols “debt” and “or ‘non-convertible redeemable preference shares’ or both” shall be omitted.
- b. in sub-regulation (2), in clause (a), the symbols and numbers “(2), (3)” shall be omitted.
- c. in sub-regulation (2), in clause I, the word, symbols and numbers “(5) and” shall be omitted and the word, symbols and numbers “and (7)” shall be inserted after the symbol and number “(6)”.
- d. in sub-regulation (2), clause (d) shall be substituted with the following, namely, -
 - “(d) regulations 53 to 62”
- e. in sub-regulation (2), clauses I to (l) shall be omitted.

XXV. in Schedule III, in Part B,

- a. in the heading, the words and symbol “DEBT” and “& NON-CONVERTIBLE REDEEMABLE PREFERENCE SHARES” shall be omitted.
- b. in para A, the words “to” and “preference shares or redemption of non-convertible debt” “or redeemable preference shares” shall be omitted.
- c. in para A, the words “or redemption payment” shall be inserted after the word “dividend”.
- d. in para A, clause (1) shall be substituted with the following, namely,-
 “(1) expected default in the timely payment of interest, dividend or redemption payment or both in respect of the non-convertible securities and also default in the creation of security for non-convertible debt securities as soon as the same becomes apparent;”
- e. in para A, clause (2), the words “debt” and “or non-convertible redeemable preference shares” shall be omitted.
- f. in para A, clause (3) shall be substituted with the following, namely,-
 “(3) any action which shall result in the redemption, reduction, cancellation, retirement in whole or in part of any non-convertible securities;”
- g. in para A, clause (5), the words “debt” and “or non-convertible redeemable preference shares” shall be omitted.
- h. in para A, in clause (11), the Explanation shall be omitted.
- i. in para A, in clause (14), in sub-clause (b) the words “debenture” shall be substituted with the words “debt security”.
- j. in para A, in clause (15) the words “the” and “redeemable preference shares or non-convertible” shall be omitted.
- k. in para A, clause (16) shall be substituted with the following, namely,-
 “(16) The listed entity shall disclose the outcome of meetings of the board of directors to the Exchange(s), within thirty minutes of the closure of the meeting, held to consider the following:
 - a. the decision with respect to fund raising proposed to be undertaken by way of non-convertible securities;
 - b. financial results:

Provided that in case of board meetings being held for more than one day, the financial results shall be disclosed within thirty minutes of end of the meeting for the day on which it has been considered.”
- l. in para A, after clause 16, the following shall be inserted, namely:
 - “(17) fraud/defaults by promoter or key managerial personnel or director or employees of listed entity or by listed entity or arrest of key managerial personnel or promoter;
 - (18) change in directors, key managerial personnel (Managing Director, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Company Secretary etc.), Auditor and Compliance Officer;
 - (19) in case of resignation of the auditor of the listed entity, detailed reasons for resignation of auditor, as given by the said auditor, shall be disclosed by the listed entities to the stock exchanges as soon as possible but not later than twenty-four hours of receipt of such reasons from the auditor;
 - (20) resolution plan/ restructuring in relation to loans/borrowings from banks/financial institutions including the following details:
 - (i) Decision to initiate resolution of loans/borrowings;
 - (ii) Signing of Inter-Creditors Agreement (ICA) by lenders;
 - (iii) Finalization of Resolution Plan;
 - (iv) Implementation of Resolution Plan;
 - (v) Salient features, not involving commercial secrets, of the resolution/

restructuring plan as decided by lenders.

- (21) One-time settlement with a bank;
- (22) Winding-up petition filed by any party / creditors;
- (23) Proceedings of Annual and extraordinary general meetings of the listed entity;
- (24) the following events in relation to the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of a listed corporate debtor under the Insolvency Code:
 - a) Filing of application by the corporate applicant for initiation of CIRP, also specifying the amount of default;
 - b) Filing of application by the financial creditors for initiation of CIRP against the corporate debtor, also specifying the amount of default;
 - c) Admission of application by the Tribunal, along with the amount of default or rejection or withdrawal, as applicable;
 - d) Public announcement made pursuant to the order passed by the Tribunal under section 13 of Insolvency Code;
 - e) List of creditors as required to be displayed by the corporate debtor under regulation 13(2)I of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016;
 - f) Appointment/ Replacement of the Resolution Professional;
 - g) Prior or post-facto intimation of the meetings of Committee of Creditors;
 - h) Brief particulars of invitation of resolution plans under section 25(2)(h) of Insolvency Code in the Form specified under regulation 36A (5) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016;
 - i) Number of resolution plans received by Resolution Professional;
 - j) Filing of resolution plan with the Tribunal;
 - k) Approval of resolution plan by the Tribunal or rejection, if applicable;
 - l) Specific features and details of the resolution plan as approved by the Adjudicating Authority under the Insolvency Code, not involving commercial secrets, including details such as:
 - (i) Pre and Post net-worth of the company;
 - (ii) Details of assets of the company post CIRP;
 - (iii) Details of securities continuing to be imposed on the companies' assets;
 - (iv) Other material liabilities imposed on the company;
 - (iv) Detailed pre and post shareholding pattern assuming 100% conversion of convertible securities;
 - (vi) Details of funds infused in the company, creditors paid-off;
 - (vii) Additional liability on the incoming investors due to the transaction, source of such funding etc.;
 - (viii) Impact on the investor – revised P/E, RONW ratios etc.;
 - (ix) Names of the new promoters, key managerial persons(s), if any and their past experience in the business or employment. In case where promoters are companies, history of such company and names of natural persons in control;
 - (x) Brief description of business strategy.
- (25) intimation related to any change in terms of issue or redemption or exercising of call/ put options;
- (26) intimation related to any change in covenants or breach of covenants under the terms of non-convertible debentures and/or non-convertible redeemable preference shares;

- (27) intimation related to forfeiture of unclaimed interest or dividend or principal amount;
- (28) intimation related to any change in the debenture trustee or Credit Rating Agency or Registrar and Share Transfer Agent;
- (29) intimation of comfort/guarantee or any credit enhancement provided by the listed entity to a third party;
- (30) any other information/change that:
- (a) shall affect the rights and obligations of the holders of the non-convertible securities; and
- (b) is not in the public domain but necessary to enable the holders of the non-convertible securities to comprehend the true position and to avoid the creation of a false market in such listed securities.”

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./243/2021-22]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
 - b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.
 - c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.
 - d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.
 - e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.
 - f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
 - g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
 - h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.
 - i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.
 - j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.
 - k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.
 - l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.
 - m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.
 - n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/12.

- o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/22.
- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/28.
- q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/45.
- r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02.
- s) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- t) August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/25.
- u) October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.
- v) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02.
- w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/22.
- x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification no. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- y) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/35.
- z) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/42.